

बिहार सरकार,  
कृषि विभाग।

अधिसूचना 4039 — 16/0/2016

अधिसूचना संख्या-1/ए0जी0(प्र0)-01/2015.....वित्त विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना सं0-4685 वि0 (2) दिनांक-25.06.2003 संकल्प सं0-7566 दिनांक-14.07.2010, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-929 दिनांक-30.03.2011 तथा अन्य संगत परिपत्रों के आलोक में बिहार कृषि सेवा कोटि-01 (शष्य) के निम्नांकित पदाधिकारियों को "रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010" के प्रावधानों के अन्तर्गत उनके नाम के समाने अंकित वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में अंकित तिथि से तृतीय रूपान्तरित वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	वरीयता क्रमांक (नया-06/पुराना-97)	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	सेवा में प्रथम नियुक्ति की तिथि	देय एम०ए०सी०पी० (नियुक्ति की तिथि से 30 वर्षों की सेवा पुरा करने पर)		
				तृतीय एम०ए०सी०पी०	अनुमान्यता की तिथि	पे बैंड/ग्रेड पे
1	2	3	4	5	6	7
1	08/801	लक्ष्मीकांत साह, सेवा निवृत्त संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार), बिहार, पटना।	14.06.1976	तृतीय एम०ए०सी०पी०	01-01-2009 01-04-2011 निर्दन के कारण (दि०-01.04.2011 से अनुमान्य)	PB 3 Grade Pay 7600/-
2	23/832	श्री जगदेव राम, संयुक्त निदेशक (शष्य), योजना बिहार, पटना।	09.12.1980	तृतीय एम०ए०सी०पी०	09-12-2010	PB 3 Grade Pay 7600/-

2. एम०ए०सी०पी० योजना के अधीन वित्तीय उत्क्रमण प्रदान किये जाने पर पदनाम, वर्गीकरण या उच्चतर हैसियत में कोई परिवर्तन नहीं होगा।


3. एम०ए०सी०पी० योजना के अधीन वित्तीय उत्क्रमण पदाधिकारी विशेष के लिये पूर्णतः व्यक्तिगत होगा और उसकी वरीयता की स्थिति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए वरीय पदाधिकारियों को इस आधार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय उत्क्रमण नहीं होगा कि उस ग्रेड वेतन में कनीय पदाधिकारी ने एम०ए०सी०पी० योजना के तहत उच्चतर ग्रेड वेतन प्राप्त कर लिया है।

4. तृतीय एम०ए०सी०पी० योजना के तहत वेतन नियतीकरण/निर्धारण संगत अधिसूचना/संकल्प/परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।

5. भविष्य में संबंधित पदाधिकारी के संवर्ग के संबंध में वित्त विभाग, बिहार, पटना अथवा सक्षम प्राधिकार द्वारा इनके वेतनमान से संबंधित यदि कोई निर्णय संसूचित किये जाते हैं तो वैसी स्थिति में यह वित्तीय उन्नयन तदनुसार प्रभावित होंगे और वित्तीय उन्नयन को संशोधित किया जा सकेगा।

6. यदि सक्षम प्राधिकार के द्वारा इस उन्नयन के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति उठाई जाएगी तो इसके फलस्वरूप अधिक/कम भुगतान की गयी राशि को तदनु रूप वसूली/सामंजन कर ली जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
(प्रमु राम),

निदेशक (प्र0)-सह-अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/ए0जी0(प्र0)-01/2015 4039 /कृ0, पटना, दिनांक 16/9/2016  
प्रतिलिपि- महालेखाकार बिहार, पटना/उप सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग,  
बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्र0)-सह-अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/ए0जी0(प्र0)-01/2015 4039 /कृ0, पटना, दिनांक 16/9/2016  
प्रतिलिपि- संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक  
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्र0)-सह-अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/ए0जी0(प्र0)-01/2015 4039 /कृ0, पटना, दिनांक 16/9/2016  
प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/प्रभारी ई0 गजट  
कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 एवं दो हार्ड प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं राजपत्र  
के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

निदेशक (प्र0)-सह-अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/ए0जी0(प्र0)-01/2015 4039 /कृ0, पटना, दिनांक 16/9/2016  
प्रतिलिपि-कृषि निदेशक, बिहार, पटना/विशेष सचिव, कृषि विभाग, बिहार,  
पटना/निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव/अवर सचिव (प्रभारी स्थापना), कृषि विभाग, बिहार,  
पटना/अपर निदेशक (शष्य), कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/अपर निदेशक (शष्य), भूमि संरक्षण  
निदेशालय, बिहार, पटना/अपर निदेशक (कृषि अभि0), कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक  
भूमि संरक्षण/पी0पी0एम0/उद्यान, बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक-सह-नियंत्रक, माप-तौल,  
बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (शष्य), पाट, बिहार, पूर्णियाँ/संयुक्त निदेशक (शष्य), शिक्षा, कृषि  
निदेशालय, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (शष्य) प्रसार, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक पौधा  
संरक्षण, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (कृ0अभि0), बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (रसायन), मिट्टी  
जाँच प्रयोगशाला, बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना/सभी उप  
निदेशक कृषि विभाग/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/संबंधित  
पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1 एवं प्रशाखा-2 तथा कार्यवाहक सहायक, कृषि विभाग,  
बिहार, पटना को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्र0)-सह-अपर सचिव।  
/कृ0, पटना, दिनांक 16/9/2016

ज्ञापांक-1/ए0जी0(प्र0)-01/2015 4039 /कृ0, पटना, दिनांक 16/9/2016  
प्रतिलिपि-मुख्य सचिव बिहार, पटना/कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना/प्रधान  
सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव,  
सामान्य प्रशासन विभाग/प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/ मंत्री कृषि के आप्त सचिव, कृषि  
विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्र0)-सह-अपर सचिव।  
/कृ0, पटना, दिनांक 16/9/2016

ज्ञापांक-1/ए0जी0(प्र0)-01/2015 4039 /कृ0, पटना, दिनांक 16/9/2016  
प्रतिलिपि- उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना एवं आई0 टी0 मैनेजर, कृषि  
विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्र0)-सह-अपर सचिव।

16.09.16